छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–4/2015/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 24/02/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषयः– **निःशक्तजनों के लिए आरक्षित बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान बाबत्।**

संदर्भः– **इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3, दिनांक 27.09.2014 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.11.2014.**

---00---

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 27.09.2014 द्वारा निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण हेतु समेकित निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिपत्र में पाई गई कतिपय त्रुटियों के संबंध में संदर्भित परिपत्र दिनांक 17.11.2014 द्वारा संशोधन जारी किया गया है।

2/ राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि विभागों द्वारा उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार निःशक्तजनों के लिए निर्धारित आरक्षण अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही नहीं की जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा सीधी भरती के लिए जारी किए गए विज्ञापन में आरक्षण अनुसार उनके लिए रिक्त पदों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। उक्त परिपत्र के अनुसार सीधी भरती के पदों में निःशक्तजनों के लिए निर्धारित 6 प्रतिशत आरक्षण में दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित रिक्तियों के लिए कमशः निर्धारित 2%, 2%, 2% क्षैतिज (होरिजेण्टल) आरक्षण का लाभ दिया जाना है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की तिथि 01.11.2000 से प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पदों में निःशक्तजनों के लिए निर्धारित आरक्षण अनुसार रिक्त पदों की गणना की जाना है एवं बैकलॉग के रिक्त पदों को भरा जाना है।

3/ इस संबंध में पुनः निर्देश प्रदान किए जाते है कि शासन के सभी विभागों, समस्त विभागाध्यक्षों, उनके अधीनस्थ समस्त अर्द्ध शासकीय उपकमों/स्थानीय निकायों/ निगम/मण्डल एवं आयोगों में सीधी भरती के माध्यम से भरे जाने वाले सभी श्रेणियों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ) के पदों की पूर्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन में यदि निःशक्तजनों के रिक्त पदों की संख्या न दर्शाई गई हो तो विज्ञापन में संशोधन कर रिक्त पदों की संख्या दर्शाई जाए। भविष्य में जारी किए जाने वाले विज्ञापनों में निःशक्तजनों के लिए निर्धारित आरक्षण अनुसार रिक्तियों की स्पष्ट संख्या का उल्लेख करना सुनिश्चित किया जाए।

4/ यह भी निर्देश दिए जाते है कि निःशक्तजनों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की तिथि 01.11.2000 से प्रत्येक संवर्ग में सीधी भरती के पदों में प्रतिवर्ष उद्भूत होने वाली कुल रिक्तियों के आधार पर, निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या की गणना की जाए एवं उनके बैकलाग के रिक्त पदों की पूर्ति विशेष भरती अभियान के माध्यम से की जाए। विशेष भरती अभियान द्वारा बैकलॉग की पूर्ति हेतु विलम्ब के लिए सम्बधित नियोक्ता अधिकारी जिम्मेदार होंगे । इस संबंध में

कमशः2..

प्रशासकीय विभागों द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाए एवं निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध रिक्त एवं भरे गए पदों की अद्यतन जानकारी से समय–समय पर समाज कल्याण विभाग को अवगत कराया जाए।

5/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डी.डी.सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र.एफ 13–4/2015/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 24/02/2015

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर,
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
6. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर
9. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़
10. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. मान0 मंत्रीगण/समस्त विशेष सहायक/निज सचिव मंत्रालय, नया रायपुर
12. आयुक्त, निःशक्तजन छत्तीसगढ जिला पंचायत भवन, जी ई रोड, दुर्ग
13. संचालक, जनसम्पर्क, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
14. संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
15. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग